

[श्री मधु लिमये]

इस से भेजा है। 1960 की बात है। हम तीन चार साल पहले से कहते थे

"Apart from the above, it is also hoped that the Government of the People's Republic of China would respect the sovereign rights of the Government of Jammu and Kashmir, and, therefore, of the Government of India, over Mansar in Western Tibet."

तो मन्सर पर जब हमारा सार्वभौम अधिकार है तो कैसे आप कह सकते हैं कि तिब्बत चीन का एक भाग है या चीन का तिब्बत के ऊपर अधिराज्य है। लेकिन अध्यक्ष महादय अपने अधिकारों की रक्षा करने में यह सरकार बिल्कुल सफल रही है। मैं तारफे-वरी जी से पूछना चाहता हूँ कि चीन के साथ राजनैतिक, कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करने का इसमें जो सुझाव है इसका वह मजूर करने के लिये तैयार है? अगर इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में आता है और उसकी ताइद करने के लिये यह लोग तैयार हैं तो मैं अपना बामरोको प्रस्ताव वापस लेने के लिये तैयार हूँ। मैं अभी चागला साहब से जानना चाहता हूँ, इन्दिरा जी से जानना चाहता हूँ क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव आप रख रहे हैं? अगर रख रहे हैं तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हूँ। देखिये कोई आवाज नहीं आ रही है। इसलिये अध्यक्ष महादय, चागला साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिससे हमारी नीति में परिवर्तन होने की आशा की जा सकती है। हीरेन्द्र मुखर्जी साहब को मैं इतना ही बहूँगा कि लेकिन जब फिनलैंड और पोलैंड की स्वतंत्रता का समर्थन करता है तो वह बड़ा लोकतंत्री बनता है, लेकिन हम लोग जब तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं तो हम साम्राज्यवादियों के हाथ के खिलाफे बनते हैं? हमारी समझ में यह बात आती नहीं है (स्वयंवाच)।

हा, पड़ीसी हैं तो क्या हुआ लेकिन आज तो साबित हुआ कि इस मामले में मुखर्जी साहब आप से ज्यादा नज़दीक हैं। तो अध्यक्ष महादय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जो पीकिंग में हुआ है हमारे झूठे के साथ वह तो एक षड़ी है पूरी श्रृंखला की मालिका है और उसका यह अंजाम है। आक्रमण हुआ। हमारे इलाके का उन्होंने हड़प लिया। इसलिए ऐसे देश के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करना हमारा पधमव वर्तव्य होता है। जो वर्तमान दुर्बलता और बमजारी है उसको दूर करने के लिये प्रौद्योगिक सामाजिक और आर्थिक त्रान्त हमारे देश में लाकर इस देश को मजबूत कर बनाना यह भी हमारा फर्ज ही जाता है। इसलिये मैं मदद से प्रार्थना करना हूँ कि वह मेरे बाम राका प्रस्ताव को पसूल करे।

Mr. Deputy-Speaker: The question is

"That the House do now adjourn"

The motion was negatived

18.52 hrs

### ANTI-CORRUPTION LAWS (AMENDMENT) BILL

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): I beg to move:

"That the Bill further to amend the anti-corruption laws, be taken into consideration"

**Mr. Deputy-Speaker:** Motion moved:

"That the Bill further to amend the anti-corruption laws, be taken into consideration"

**Shri Vidya Charan Shukla:** Under section 5(3) of the Prevention of Corruption Act, 1947, as it stood

**Mr. Deputy-Speaker:** He may continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

18-52 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, June 15, 1967/Jyaistha 25, 1889 (Saka)*